

उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

पंजीकृत निर्माण कामगार समीकृती बीमारी सहायता योजना

बोर्ड अधिसूचना संख्या 4200-4331/भ0नि0(90)-2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा

अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना
2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गम्भीर बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराए गये इलाज के उपरान्त किये गये क्षय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

गम्भीर बीमारी की परिभाषा में निम्नलिखित बीमारियों सम्मिलित होंगी :-

- ❖ हृदय की शल्य क्रिया,
- ❖ गुर्दा का प्रत्यारोपण,
- ❖ हीदर (यकृत) का प्रत्यारोपण,
- ❖ भरितष्क की शल्य क्रिया,
- ❖ रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया,
- ❖ पैर के धुटने बदलना,
- ❖ कैंसर का इलाज तथा
- ❖ एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी।

ऐप अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्तें (विविधगत) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

4. ठितलाभ :-

(1) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या ३०प्र० सरकार के किंवंत्रणाधीन चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त अग्रलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। ★

(2) योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की विवरिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीमा योजना, भारत सरकार की सी०जी०एच०एस० द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों ने भर्ती होने या इलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी। ★

5. आवश्यक शर्तेः -

- ❖ श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
- ❖ किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-२ पर दिया गया प्रमाण पत्र।
- ❖ दवाइयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित किए गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

6. सामान्य लिंगेश : -

लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न अनिवार्य रूप से किए जायेंगे :-

- (1) निर्धारित प्रारूप-१ पर आवेदन-पत्र
- (2) पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
- (3) निर्धारित प्रारूप-२ पर सक्षम मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमत्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र

(4) दबाईयों के क्रय पर हुए लाय के मूल बिल-बातचर्च, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गये हों, जिनके द्वाया उपचार किया गया हो।

(5) यदि रोगी अविवाहित/पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र (प्रालग-3)

(6) इस समय कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा बोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित स्थेयोंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, ३०प्र० भवन एवं अन्य सञ्जिमर्मण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले ०.५ दिन के अन्दर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. कठिनाईयों का निवारण :-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सञ्जिमर्मण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

नोट :-★ १ ३०प्र० भवन एवं अन्य सञ्जिमर्मण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : ४११-१७/३०नि०बो०(९०)-२०१३, दिनांक २७.०६.२०१३ द्वाया संशोधित।

—: अधिसूचना :—

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या 4200-4331 / भ0नि0बो0(90) / 2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना में उल्लिखित गम्भीर बीमारियों हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी के संबंध में उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-2 के पत्र संख्या : 13 / 2015 / 319 / 36-2-2015-93 (1) / 11 दिनांक 02.11.2015 एवं तत्क्रम में जारी उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 980 / 36-2-2017 दिनांक 27.09.2017 द्वारा प्राप्त अनापत्ति के क्रम में पूर्व की उपरोक्त 08 गम्भीर बीमारियों के अतिरिक्त निम्न अन्य बीमारियों को गम्भीर बीमारी सहायता योजना में सम्मिलित किया जाता है :-

1. आँख की शल्य क्रिया
 2. पथरी की शल्य क्रिया
 3. एपेन्डिक्स की शल्य क्रिया
 4. हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया
 5. महिलाओं में होने वाले स्तर कैंसर की शल्य क्रिया
 6. सर्विकल (बच्चेदानी / योनि) कैंसर की शल्य क्रिया
कृपया तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

Brijendra Singh
(बी०जे० सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : ३१९०-७६ / भ०नि०बो०-(९०)-१७ दिनांक : ०३/१०/१७

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
 2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
 4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
 5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
 6. गार्ड फाइल हेतु।
 7. श्रम अनुभाग-2 द्वारा जारी अनापत्ति संख्या 980/36-2-2017 दिनांक 27.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ।

Brijendra Singh
(बी०जे० सिंह)